बिहार विधान-सभा सचिवालय

(भाग-२ कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

बृहस्पतिवार तिथि २ अगस्त, १९७८

विषय सूची

	पृष्ठ
शून्यकाल की चर्चाएँ	[illegible]
(क) डाक्टर की गाड़ी से आदिवासी लड़की का दुर्घटनाग्रस्त होना	
(ख) शिक्षा विभाग के निदेशक श्रीमती उमा सिन्हा का निलम्बन	
(ग) रोहतास जिला में कोलरा का प्रकोप	
(घ) शराब की बोतल में टौनिक का बेचा जाना	
(च) सारण जिला के सिताब दियारा गांव का कटाव	
(छ) गिरीडीह में कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था	
(ज) दरभंगा जिला में बाढ़ का प्रकोप	
(झ) मेडिकल-बिल के भुगतान में गोलमाल	
(ट) पटना फ्लाईंग क्लब में रिटायर्ड इन्जीनियर को लाया जाना	
ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर सरकारी वक्तव्य ..	९-१८
(क) बिहार राज्य आवास बोर्ड में प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को उनके पैतृक विभाग में लौटाना	
(ख) राजेन्द्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान अगमकुंआ (पटना) के भवन पर बलपूर्वक कब्जा	
(ग) मोतिहारी शहर में पेय जल का संकट	
अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण एवं उस पर सरकारी वक्तव्य	१८-१९
चितकोहड़ा (पटना) केलमेंट शरणार्थी कोलोनी के शरणार्थी श्री हरवंश सिंह के प्रति जुल्म की जांच (क्रमशः)	
सरसों तेल की खरीद के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य	१९-२५
अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय में ध्यानाकर्षण तथा उस पर सरकारी वक्तव्य।	२५-२८
चितकोहरा (पटना) केलमेंट शरणार्थी कोलोनी के शरणार्थी श्री हरवंश सिंह के प्रति जुल्म की जांच	

३६/४३ एल० ए०

श्रीमती सुमित्रा देवी—जिम्मेदारी सामूहिक है।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री, इस तरह से उत्तर नहीं दीजिये। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि किसी विभाग द्वारा सेवा लौटाने के पहले विभाग इस बात की व्यवस्था कर लेता है, सरकार इस बात को देख लेती है कि पोस्टिंग हो जाय तभी लौटाया जाय। यह बात साफ हो जाय असेम्बली में। यह कह दीजिये कि यही व्यवस्था है।

श्रीमती सुमित्रा देवी—ऐसी बात नहीं है।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री, एक आदमी के लिये कोई नहीं यह व्यस्था नहीं चलायी जा सकती है। सरकार को इसके बारे में निर्णय करना होगा कि ऐसे पदाधिकारी को लौटायेंगे या नहीं ?

श्रीमती सुमित्रा देवी—अध्यक्ष महोदय, अब वे चले जायंगे।

श्री विजय कुमार सिंह—क्या सरकार श्री नरेन्द्र भूषण प्रसाद की सेवा लौटाये जाने से संबंधित पत्र को सदन के पटल पर रखना चाहती है ?

अध्यक्ष—क्यों रखना चाहेंगी पटल पर ? मैं इसको अमान्य करता हूं।

श्री विजय कुमार सिंह—इसलिये कि सरकार की दोरंगी नीति है ?

अध्यक्ष—सरकार ने तो नीति स्पष्ट कर दी। इसके बाद सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) राजेन्द्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, अगमकुआ, पटना के भवन पर बल पूर्वक कब्जा।

श्री कपिलदेव सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के कुछ छात्रों द्वारा हाल में राजेन्द्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अगमकुंआ पटना के भवनों पर बल पूर्वक कब्जा जमाने बल के प्रयास की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है।

यह घटना ७ जुलाई १९७८ को घटी थी। स्थानीय पदाधिकारियों ने मुस्तैदी से कारवाई की और छात्रों को प्रांगण से बाहर किया। कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला पदाधिकारी, पटना ने आवश्यक व्यवस्था की है। प्राचार्य, नालन्दा मेडिकल कालेज को भी सतर्क कर दिया गया ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो।

छात्रों की मांग है कि नालन्दा मेडिकल कालेज के छात्रों के अध्यापन कार्य के लिए यथेष्ट शय्याओं की व्यवस्था अगम कुआं के प्रांगण में ही हो जिस आधार पर महाविद्यालय को भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थायी मान्यता मिल सके । इस कालेज की स्थापना एक निजी संस्था द्वारा की गई थी तथा इसे कोइ अपना अस्पताल नहीं रहने के कारण भारतीय चिकित्सा परिषद की मान्यता नहीं मिल रही थी और छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया था । इस स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय सहित सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के सरकारीकरण का निर्णय लिया और गत वर्ष नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय को अगमकुआं स्थित संक्रामक रोग अस्पताल के लिए निर्मित सभी भवन तथा वायरस भवन का आधा भाग दे दिया जिसमें ३०० शय्याओं की व्यवस्था की गई । उसके अतिरिक्त पटना सिटी एवं राजेन्द्रनगर सरकारी अस्पताल भी इस महाविद्यालय को सौंप कर प्रायः ६५० शय्याओं की व्यवस्था कर दी गई । इस व्यवस्था के आधार पर भारतीय चिकित्सा परिषद ने इस महाविद्यालय को तदर्थ रूप से इस वर्ष के लिए मान्यता दी है और आगामी वर्ष में पुनः निरीक्षण कराकर मान्यता की अवधि वृद्धि के प्रश्न पर निर्णय किया जाएगा ।

सरकार स्वयं चिन्तित है कि प्राइवेट चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पताल एक ही प्रांगण में रहें न कि अलग-अलग प्रांगणों में जैसा कि अभी सभी जगहों में है । गत वर्ष सरकार ने प्राइवेट चिकित्सा महाविद्यालयों के नव-निर्माण कार्य के लिए ९३ लाख रुपया दिया था । इस वर्ष भी बजट पारित होने पर आवंटन दिया जाएगा । पांचों सरकारीकृत महाविद्यालयों को अपना-अपना ५०० शय्यायुक्त अस्पताल हो, इस परियोजना को कार्यान्वित करने में करोड़ों रुपये का व्यय होगा जिसे पूरा करने में समय लगना स्वाभाविक है । बजट पर भाषण के क्रम में मैंने इसके सत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी व्यवस्था दो वर्ष में करा दी जाएगी । भारतीय चिकित्सा परिषद भी इस स्थिति से अवगत है । वर्तमान व्यवस्थान्तर्गत ही परिषद ने इन महाविद्यालयों को मान्यता दी है । अतः छात्रों को आशंका है कि अगले वर्ष मान्यता नहीं मिलेगी जो सर्वथा निर्मूल है ।

राजेन्द्र स्मारक संस्थान के भवनों और प्रांगण को नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय को हस्तान्तरित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है । सरकार देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद की पुण्य स्मृति में स्थापित इस संस्थान को अक्षुण्ण रखेगी और किसी भी संस्था या व्यक्ति को इस बात की अनुमति नहीं देगी कि वह इस पर कब्जा जमाये । इस संस्थान को शीघ्र कार्यों के लिए बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे भारत सरकार को सुपुर्द करने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति के विचाराधीन है और निर्णय

होते ही इस संस्थान को उचित विकास हेतु केन्द्रीय सरकार को सौंप दिया जाएगा। इस विषय पर नीति संबंधी घोषणा भूतपूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कर दी है।

इसका एक पहलू यह भी है कि राजेन्द्र स्मारक संस्थान एक स्वायत्त संस्थान है और उसकी सम्पत्ति को हस्तानान्तरित करने का अधिकार सरकार को नहीं है। यह ठीक है कि जिस जमीन में संस्थान के भवन स्थित हैं वह सरकार की थी कुछ भवन भी सरकार ने बनवाए थे, किन्तु उक्त जमीन और उसपर अवस्थित भवन सरकार ने संस्थान को हस्तांतरित कर दिया है और संस्थान ने वाह्य सूत्रों से लाखों रुपये का वित्तीय अनुदान प्राप्त कर अतिरिक्त भवन का निर्माण और उन्हें सुसज्जित कराया है तथा संयत्र आदि खरीदा है। यह सारी संपत्ति अब संस्थान की है और संस्थान का उसपर पूर्ण स्वामित्व है न कि सरकार का। अतः सरकार द्वारा उसे किसी को हस्तारिन्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता।

यह ठीक है कि संस्थान में शोध कार्य की प्रगति संतोषप्रद नहीं रही है और उसके सभी साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। इसका कारण है वित्तीय कठिनाई। फिर भी कालाजार संबंधी शोध कार्य चल रहा है और खास-खास हरिपत्तियों से प्रोटीन निकालने का कार्य भी। केन्द्रीय शोध संस्थान के रूप में परिवर्त्तित होते ही, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार उच्चस्तरीय समीक्षा करा रही है, संस्थान में शोध कार्य सुचारु रूप से होने लगेगा।

नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों एवं कनीय डाक्टरों की यह मांग सर्वथा अनुचित है। यदि छात्रों ने इन संस्थान को क्षति पहुचाने या इसे कब्जा करने की अनुशासनहीन कार्रवाई की तो सरकार उनके विरुद्ध सख्त कदम उठायेगी।

अध्यक्ष—अब इस पर क्या पूरक पूछना है ?

*श्री रामदेव महतो—अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है। क्या सरकार बतायेगी कि राजेन्द्र नगर अस्पताल को नालन्दा मेडिकल कालेज के लिये समर्पित किया गया है ?

अध्यक्ष—इससे क्या लेना देना है ?

श्री रामदेव महतो—इसमें एक सवाल यह है कि सरकार ने पटना सिटी अस्पताल और नालन्दा मेडिकल कालेज को मान्यता प्राप्त कराने के लिये आदेश दिया। सरकार ने यह भी कहा है.. ...

अध्यक्ष--आप ध्यानाकर्षण सूचना को देखिये। सूचना में यहा कहा गया था कि इसमें जबर्दस्ती कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है उनको हटाया जाय और भूतपूर्व राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू की स्मृति को अक्षुण्ण रखा जाय। उसमें सरकार की पूर्ण सहमति है और सरकार ने उसपर कार्रवाई की है।

श्री रामदेव महतो क्या सरकार को पता है कि उस संस्थान के गेट के सामने विद्यार्थी लोग अनशन पर हैं ?

अध्यक्ष--कोई असेम्बली के गेट पर आकर अनशन करें उससे क्या मतलब है ?

श्री रामदेव महतो--जनता और छात्रों के बीच इस प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति चल रही ह ।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य, भाषण नहीं हो। 'Supplementary for Supplementary's sake 'नहीं होता है। सरकार ने कहा कि जो भी आदमी इस व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। वहां हाता खुला हुआ है लेकिन उसपर कब्जा है शोध संस्थान का।

श्री रामदेव महतो--वहां के कर्मचारियों पर जान का खतरा है।

अध्यक्ष--अब मैं नहीं समझ सकता हूं, आप पूछिये।

श्री रामदेव महतो--क्या सरकार नागरिकों और छात्रों के बीच उत्पन्न तनाव को कम करने की व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री कपिलदेव सिंह--अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ध्यानाकर्षण सूचना दी है उसपर जबाब दिया गया है। माननीय सदस्य के ध्यानाकर्षण सूचना में यह कहीं नहीं चर्चा है कि वहां पर तनाव है और उसके बारे में सरकार क्या कर रही है।

श्री रामजतन सिंहा--मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इसी के बारे में मेरी दो ध्यानाकर्षण सूचनायें हैं, एक लिखित उत्तर के लिए स्वीकृत हुई है और और दूसरी सदन में वक्तव्य के लिए।

अध्यक्ष—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री रामजतन सिंहा—भारी रकम लगाकर यह अस्पताल बना हुआ है ।

अध्यक्ष—वह ठीक है ।

श्री रामजतन सिंहा—सरकार शर्त्त लगाकर टेक-ओवर के लिए रिकोमेन्ड किया है और यह अस्पताल बेकार पड़ा हुआ है ।

अध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री रामदेव महतो—वहां पर छात्रों के रहने के कारण कर्मचारियों को काम करने में, शोध संस्थान में आकर चिकित्सा कराने वाले लोगों को और जो कलाजार के मरीज भरती हैं, इन सारे लोगों का बाधा उत्पन्न हो रही है । इसके कारण लोगों को जो कठिनाई हो रही है सरकार को यह पता है ?

श्री कपिलदेव सिंह—माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है उसमें यानी ध्यानाकर्षण सूचना में यह बात नहीं उठाया गया है ।

(ग) मोतीहारी शहर में पेयजल का संकट ।

*श्री ठाकुर प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, १९७१ की जनगणना के अनुसार नगर की जन संख्या ३७,०५८ से बढ़कर अब लगभग ५०,००० हो गयी है । वर्त्तमान जनसंख्या के लिये २० गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से १० लाख गैलन पेयजल की आपूर्ति (प्रतिदिन) होना वांछनीय है जबकि वर्त्तमान तीन गहरे नलकूपों से दो पानी टंकियों द्वारा लगभग ६ लाख गैलन पेयजल की आपूर्त्ति (प्रतिदिन) की जा रही है । इन पानी टंकियों में एक की क्षमता एक लाख गैलन धारण करने की है तथा दूसरे की पचीस हजार गैलन । बिजली गड़बड़ी की वजह से कभी-कभी अभाव हो जाता है । अतः इस गड़बड़ी के कारण उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिये जलापूर्त्ति का समय अधिक कर देने का आदेश स्थानीय पदाधिकारियों को दिया जा चुका है ।

मोतिहारी नगर जल की रसायनिक जांच की कारवाई भी की गयी है । जांच करने के पश्चात् यह तथ्य सामने आया है कि गहरे नलकूप, जिससे नगर में जलापूर्त्ति की जा